फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा..................................

दारासिंह बनाम चायली आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 2/03.01.2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
03-01-20	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री भानुप्रताप के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके चक न0 1 बीएचडी के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 2, 9/2, 10, 11, मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 15, 16, 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 65 के किला नम्बर 4 व 5, चक नम्बर 6 बारानी के मुरब्बा नम्बर 85 के किला नम्बर 24, मुरब्बा नम्बर 106 के किला नम्बर 4, 5, मुरब्बा नम्बर 85 के किला नम्बर 21 ता 23, मुरब्बा नम्बर 106 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 11 व चक नम्बर 2 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 ता 25, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 5 कुल 15.180 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड की यथारिथति बनाये रखें यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 14.02.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नही करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नही बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.02.2020 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	
14/2/20	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ......अवकाश पर...... दिनांक 8-4-20.... को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ......अन्य ...... दि. 6/5/20 हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.02.20 10:25:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर फर्द या हुक्म व जारी
06/10/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 22/01/24 को पेश हो। [signature]	
22/01/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 22/3/24 को पेश हो। [signature]	
22/03/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 5/6/24 को पेश हो। [signature]	
5/6/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी चुनावी कार्य में व्यस्त है दिनांक 13/8/24 पेश हो। [signature]	
13/8/24	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते तलबी दिनांक 5/10/24 को पेश हो। [signature]	
5/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरण पर है दिनांक 10.12.24 को पेश हो। [signature]	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं बार-बार आवाज लगवाई गई, तीन बार आवाज लगाने पर भी कोई हाजिर नहीं। पत्रावली [illegible] अदम पैरवी में खारिज [illegible] नत्थी [illegible] आदि [illegible] [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:25:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner